

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स /एल.आर/6105/2005/नागौर राजस्थान सरकार बनाम बुधसिंह व अन्य</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए</p>
	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य</p> <p>उपस्थित : श्री जानी सिंह, उप राजकीय अधिवक्ता। अप्रार्थी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित।</p> <p style="text-align: center;">— आदेश</p> <p style="text-align: right;">दिनांक:— 07.05.2026</p> <p>यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 15.09.2005 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया है।</p> <p>रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी तहसीलदार, नावां ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस आशय का पेश किया कि मौजा चितावा का गत खसरा संख्या 5 रकबा 8.05 बीघा किस्म भूमि नाड़ी राजकीय भूमि खतौनी बंदोबस्त संवत् 2008 से 27 में दर्ज थी। जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 से 13 के नाम विधि विपरीत एवं नियम विरुद्ध दर्ज की गई है। हाल भू-प्रबंध मिसल बंदोबस्त संवत् 2046 से 65 के खाता संख्या 313 के अनुसार उक्त खसरा संख्या 5 के हाल खसरा संख्या 19 रकबा 1.25 है0 एवं खसरा संख्या 1209/12 रकबा 0.08 है0 कुल 1.33 है0 किस्म भूमि बाराणी तृतीय दर्ज हुई। चूंकि उक्त भूमि गै0मु0नाडी से बनी है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है जो अवैध है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते हैं तथा यह भूमि राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 के अंतर्गत आवंटन/नियमन के योग्य नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02-08-2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15-8-1947 की स्थिति को रिकार्ड अनुसार बहाल किया जाना आवश्यक है। जिस पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा प्रकरण को भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत परीक्षण करते हुये रेफरेन्स स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को पूर्ववत् किस्म पाल/नदी/नाला/तालाब के साथ रेफरेन्स मण्डल को अभिशंषित किया गया है।</p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स /एल.आर/6105/2005/नागौर राजस्थान सरकार बनाम बुधसिंह व अन्य</p>	<p>नम्बर व तारीख जो अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए</p>
	<p>विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।</p> <p>विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि मौजा चितावा का गत खसरा संख्या 5 रकबा 8.05 बीघा किस्म भूमि नाडी राजकीय भूमि खतौनी बंदोबस्त संवत् 2008 से 27 में दर्ज थी। जिसकी खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 से 13 के नाम विधि विपरीत एवं नियम विरुद्ध दर्ज की गई है। हाल भू-प्रबंध मिसल बंदोबस्त संवत् 2046 से 65 के खाता संख्या 313 के अनुसार उक्त खसरा संख्या 5 के हाल खसरा संख्या 19 रकबा 1.25 है0 एवं खसरा संख्या 1209/12 रकबा 0.08 है0 कुल 1.33 है0 किस्म भूमि बारानी तृतीय दर्ज हुई। चूंकि उक्त भूमि गै0मु0नाडी से बनी है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है जो अवैध है। उक्त भूमि आवंटन/निमयन/खातेदारी हेतु उपलब्ध नहीं होकर राज0काश्त0अधि0 1956 की धारा 16 के अंतर्गत वर्जित/प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में थी। चूंकि उक्त भूमि राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 में वर्णित वर्ग की श्रेणी में आने के कारण इस भूमि पर कभी भी खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते है तथा यह भूमि राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 16 के अंतर्गत आवंटन/नियमन के योग्य नहीं है। अतः उक्त भूमि बाबत् अप्रार्थीगण के हक में दर्ज खातेदारी निरस्त की जाकर विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल हुआ है, को निरस्त किया जावे तथा भूमि को पुनः गै0मु0 नाडी के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।</p> <p>हमने उप राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया और अति0 जिला कलक्टर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।</p> <p>चूंकि राजस्व खतौनी जमाबंदी संवत् 2018-2021 से विवादित आराजी का गै0मु0नाडी राजकीय सिवायचक के रूप में दर्ज होना स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार पाल, नदी, नाले, तालाबी किस्म की भूमि में राजस्व विधियों के अन्तर्गत किसी को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं।</p> <p>नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पाल/पायतन, तलाई आदि किस्म की ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02-08-2004 की पालना में</p>	

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स /एल.आर/6105/2005/नागौर राजस्थान सरकार बनाम बुधसिंह व अन्य</p>	<p>नम्बर व तारीख जो अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए</p>
	<p>उक्त भूमि को दिनांक 15-8-1947 की स्थिति को रिकार्ड अनुसार बहाल किया जाना आवश्यक है।</p> <p>राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (i) निम्न प्रकार है:-</p> <p>“4. Land not available for allotment under these rules.- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-</p> <p>(i) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955;”</p> <p>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 की उपधारा (ii) निम्न प्रकार है:-</p> <p>16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-</p> <p>Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-</p> <p>(ii) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank;</p> <p>उक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि जोहड़ मय पायतन, नदी/नाला(नला)/तालाब की भूमि अथवा नदी पेटा की भूमि की खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। इस प्रकार गैर मुमकिन श्रेणी जोहड़ मय पायतन, नाला, नदी, नाड़ी, तालाब आदि की भूमि ना तो आवंटन योग्य है और ना ही उसका किसी के नाम नियमन हो सकता है। अतः अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज विवादित आराजी विधिविरुद्ध है। पूर्व राजस्व रिकार्ड अनुसार विवादित भूमि की किस्म गै0मु0नाड़ी खाता सरकार दर्ज है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि बाबत् अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी इन्द्राज प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य एवं निरस्तनीय है।</p> <p>परिणामतः न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, डीडवाना द्वारा अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 15.09.2005 के क्रम में मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम चितावा के गत खसरा संख्या 5 रकबा 8.05 बीघा किस्म नाड़ी राजकीय भूमि जिसके हाल खसरा संख्या 19 रकबा 1.25 है0 तथा खसरा संख्या 1209/12 रकबा 0.08</p>	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स /एल.आर/6105/2005/नागौर राजस्थान सरकार बनाम बुधसिंह व अन्य	नम्बर व तारीख जो अहकाम इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	<p>है0 बने है का अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन/पर अप्रार्थीगण को दी गई खातेदारी को निरस्त किया जाता है तथा विवादित आराजी को पूर्वानुसार सिवायचक दर्ज कर उसकी किस्म गै0मु0नाड़ी राजकीय भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।</p> <p>पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो ।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया ।</p> <p style="text-align: center;">(भवानी सिंह पालावत) सदस्य</p>	